इकाई 5 एकल यूरोपीय अधिनियम तथा एकल बाज़ार

संरचना

5.0 प्रस्तावना

5.1 उद्देष्य

5.2 1970 तथा 1980 के दषकों की चुनौतियाँ

5.3 आयोग श्वेत पत्र, जून 1985

5.4 सचीनी रिपोर्ट

5.5 एकल यूरोपीय अधिनियम, 1987

5.6 एकल बाज़ार की प्रमुख विषेषताएँ

5.7 एकल बाज़ार के प्रभाव

5.8 बाधाएँ

5.9 सेवाओं से संबंधित निर्देष

5.10 सारांष

5.11 अभ्यास प्रष्न

5.12 संदर्भ तथा कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.0 प्रस्तावना

1957 की रोम की संधि में अन्ततोगत्वा एक सांझा बाज़ार स्थापित करने की बात कही गई थी जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि समुदाय के मुख्य कार्य : "सांझा बाज़ार स्थापित करना तथा सदस्य–राज्यों की आर्थिक नीतियों को उत्तरोत्तर सदृष्य करना, सम्पूर्ण समुदाय के अंदर आर्थिक गतिविधियों के समन्वित विकास को प्रोत्साहन देना, निरंतर तथा संतुलित प्रसार, स्थायित्व में बढ़ोतरी, जीवन स्तर में संतुलित एवं निरंतर विकास तथा सदस्य–राज्यों में नजदीकी सम्बन्ध" होंगे। संक्षेप में, रोम की संधि में यह स्पष्ट तौर पर

लिखा गया कि समुदाय की राजनीतिक तथा आर्थिक एकता बहुत हद तक एकल, संघटित बाज़ार पर निर्भर करेगी।

1968 में कस्टम यूनियन की स्थापना के बाद, समुदाय के देषों के बीच वस्तुओं के व्यापार में सीमाषुल्क तथा मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए, तथापि मुक्त व्यापार के संदर्भ में तकनीकी तथा प्रषासनिक बाधाएँ बनी रहीं। हालाँकि यूरोपीय समुदायों को कई बार "सांझा बाज़ार" (Common Market) के नाम से पुकारा जाता था और रोम की संधि में इस तरह का उद्देष्य स्पष्ट करने के बावजूद, आंतरिक बाज़ार से संबंधित मूल बाधाएँ न केवल जैसी की तैसी बनी रहीं, बल्कि कुछ नयी और जुड़ गईं। ये नई बाधाएँ थीं : लोगों के मुक्त आवागमन पर प्रतिबंध, विभिन्न राष्ट्रीय तकनीकी मानक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी मानक, पर्यावरण नियम, गुणात्मक नियंत्रण, अप्रत्यक्ष करों में भिन्नता आदि, जिनके कारण एक उत्पाद विषेष यूरोपीय समुदाय (European Community; EC) के सभी राज्यों में नहीं बिक सकता था। हालाँकि इन बाधाओं को दूर करने के कई प्रयत्न किए गए परन्तु इनके लिए चली चर्चाएँ तकनीकी जाल में फंस कर रह गईं क्योंकि अधिकतर सदस्य–राज्य मानकों से संबंधित राष्ट्रीय अंतरों को समाप्त करने के लिए किसी सांझे दृष्टिकोण को अपनाने में एकमत नहीं हो सके। इन सभी की चर्चा हम इस इकाई में करेंगे।

5.1 उद्देष्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप निम्नलिखित विषयों को समझने के योग्य हो जाएँगे:

- एकल यूरोपीय बाज़ार की स्थापना को दिषा देने वाले कारक;
- एकल यूरोपीय बाज़ार की स्थापना से संबंधित विभिन्न रिपोर्टें तथा सिफारिषें;
- एकल यूरोपीय अधिनियम (1987) के मूल तत्व;
- एकल यूरोपीय बाज़ार के मूल तत्व तथा प्रभाव; और

- एकल यूरोपीय बाज़ार के प्रचलन में आने वाली बाधाएँ।

5.2 1970 तथा 1980 के दषकों की चुनौतियाँ

1973 के तेल संकट के कारण पष्चिमी यूरोप में उत्पन्न हुई 1970 के दषक की आर्थिक मंदी ने सदस्य–राज्यों को अपने राष्ट्रीय बाज़ारों को ग़ैर सदस्य–राज्यों से ही नहीं, बल्कि अन्य सदस्य–राज्यों से भी बचाने के लिए मजबूर कर दिया। विभिन्न सरकारों की राष्ट्रवाद तथा संरक्षणावाद की होड़ तथा प्रमुख उद्योगों द्वारा आंतरिक तथा बाह्य प्रतिस्पर्धा से बचाव की मुहिम ने किसी भी प्रकार के एकीकरण में अत्यधिक विरोध खड़ा किया। अतः एकल बाज़ार की रचना के लिए केवल नाममात्र के प्रतिबंध हटाने में ही सफलता मिल सकी।

परन्तु 1980 के दषक के प्रारंभिक वर्षों में ही, यूरोपीय समुदाय के सदस्य–राज्य एक अर्थपूर्ण सांझा बाज़ार की रचना के लिए ठोस कदम उठाने के लिए आतुर दिखाई देने लगे। इस परिवर्तित दृष्टिकोण के कारण निम्नलिखित थेः

(क) यूरोपीय समुदाय के प्रमुख प्रतिस्पर्धियों – अर्थात् अमेरिका तथा जापान – के मुकाबले यूरोपीय समुदाय की विष्व प्रतिस्पर्धात्मकता में ह्रास, जिसके चलते 1970–1980 के दषकों में निर्मित वस्तुओं के विष्व व्यापार में यूरोपीय समुदाय के हिस्से अथवा अंष में काफी गिरावट आ गई।

(ख) पूर्वी तथा दक्षिणपूर्व एषिया के नए औद्योगिक देषों (New Industrialised Countries; NICs) से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, जिसके कारण यूरोपीय समुदाय तथा एषिया के नए औद्योगिक देषों के बीच 1980 के दषक में नकारात्मक व्यापार संतुलन दुगना हो गया।

(ग) आंतरिक विवादों के कारण आर्थिक तथा राजनीतिक संघटन में गतिहीनता, ये विवाद बजट के प्रसार, सांझी कृषि नीति (Common Agricultural Policy; CAP) के वित्त प्रबंधन तथा राजनीतिक संघटन बढ़ाने को लेकर थे।

(घ) यूरोपीय उद्योग का ढाँचा, जो केवल बाज़ार की विखण्डित प्रकृति को ही नहीं बल्कि बाज़ार विभाजन के साथ–साथ राष्ट्रीय दृष्टिकोणों में विभाजन को भी प्रतिबिम्बित करता था। इन विभिन्न बाधाओं ने एक बात स्पष्ट कर दी कि उन क्षेत्रों में भी, जहाँ किसी उत्पाद में राष्ट्रीय उद्योग अकुषल थें, अधिक लागत के कारण विष्व बाज़ार की प्रतिस्पर्धा में उनके उत्पाद का मुकाबला नहीं कर पाते।

(ङ) 1970 से आरंभ हुआ घटिया तथा गिरते हुए आर्थिक निष्पादन का दषक तथा बेरोज़गारी में निरंतर बढ़ोतरी, जिन्होंने सरकारों को राष्ट्रीय एवं यूरोपीय समुदाय के स्तर पर संरक्षणात्मक नीतियाँ लागू करने के लिए अत्याधिक राजनीतिक दबाव डाला।

(च) यूरोपीय शोध तथा विकास के प्रभावषाली उपयोग तथा वाणिज्यीकरण का अभाव, जो अधिकतर राष्ट्रीय दरारों में बँटा हुआ था। इसके अतिरिक्त यूरोपीय समुदाय की कम्पनियों के पास बाज़ार तथा प्रयोगषाला के बीच की खाई को पाटने के लिए संसाधनों तथा नवीनीकरण योग्यता का अभाव था जिनके कारण वे छोटे राष्ट्रीय बाज़ारों पर निर्भर थे तथा जहाँ शोध कार्यों को व्यर्थ में दोहराया जा रहा था।

अतः यूरोपीय समुदाय के अंदर यह भावना घर करने लगी कि यदि पष्चिम यूरोप ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो वह विष्व व्यापार में उत्तरी अमेरिका तथा सुदूर–पूर्वी देषों से काफी पीछे रह जाएगा। ऐसा अनुभव किया गया कि केवल 32 करोड़ लोगों का एक ऐसा एकल यूरोपीय बाज़ार ही जो उत्पादन, शोध तथा नवीनीकरण के स्तरों पर मितव्ययता लाने के योग्य हो, और जो विभिन्न कर्ताओं, चाहे वे छोटे हो या बड़े, अनावष्यक दोहरे नियमनों से मुक्त करे, एक ऐसा वातावरण प्रदान कर सकता है जो यूरोप के समक्ष चुनौतियों का सामना कर सकेगा।

5.3 आयोग श्वेत पत्र, जून 1985

जैसे ही व्यावसायिकों, अर्थषास्त्रियों, राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों तथा यूरोपीय संसद के सदस्यों को यह अनुभव होने लगा कि यूरोप का पुनरोत्थान एक महाद्वीपीय बाज़ार के निर्माण में ही

है, विभिन्न देषों के अध्यक्षों तथा सरकारों ने पूर्ण तथा एकीकृत आंतरिक बाज़ार की प्रक्रिया सम्पन्न करने की बार–बार घोषणा की। 1985 में उन्होंने यूरोपीय आयोग को इस दिषा में "ठोस प्रस्ताव" रखने के लिए कहा ताकि 1992 तक इस उद्देष्य को पूरा किया जा सके। एकल यूरोपीय बाज़ार (Single European Market) का मुख्य वास्तुकार (architect) यूरोपीय कमीषन का अध्यक्ष जैक्स डलोरस (Jacques Delors) था।

अप्रैल 1985 में आयोग ने एक श्वेत पत्र (White Paper) *"कम्पलिटिंग दी इंटरनल मार्केट"* (*Completing the Internal Market*) प्रकाषित किया जिसमें आवष्यक कार्यक्रम तथा कार्यवाही के लिए निष्चित समय–सारणी का स्पष्टीकरण किया गया। इसने उन सभी भौतिक, तकनीकी तथा वित्तीय अवरोधों को पहचानने की कोषिष की जो सीमाओं पर नियंत्रणों को उचित ठहरा रहे थे और मुक्त बाज़ार को स्वतंत्रता से कार्य करने से रोक रहे थे। इन अवरोधों को समाप्त करने के लिए आयोग ने 300 वैधानिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए तथा यह सलाह दी कि इन सभी कदमों को 31 दिसम्बर 1992 तक अपना लिया जाना चाहिए।

श्वेत पत्र ने प्रत्येक अवरोध को हटाने के परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा उन सभी आवष्यक अनुवर्ती कार्यवाहियों का भी खुलासा किया जिससे विभिन्न अवरोधों की समाप्ति का कार्य समन्वित तरीके से चले। श्वेत पत्र ने उन सभी पूरक कार्यवाहियों की भी रूपरेखा प्रस्तुत की जो समुदाय के अन्य क्षेत्रों की नीतियों के लिए आवष्यक होगी ताकि अवरोधों को समाप्त करने का यह अभियान किन्हीं अन्य क्षेत्रों के अवरोधों जैसे भिन्न पर्यावरण मानक के कारण खतरे में न पड़ जाए, न ही यह समुदाय स्तर पर प्रभावषाली प्रतिस्पर्धा नीति के अभाव मे विंघटित हो, या समुदाय के अंदर सामाजिक सुरक्षा की भिन्न श्रेणियों के कारण (जो क्षेत्रीय विकास में विषमताएँ बढ़ाती है) अथवा एक असम्बद्ध विदेषी सम्बन्ध नीति के कारण प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हों। श्वेत पत्र के तीसरे अध्याय में सीमाओं पर नियंत्रण के दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्याय चार तथा पाँच में तकनीकी तथा वित्तीय अवरोधों को समाप्त करने के दृष्टिकोणों का परीक्षण भी किया गया।

श्वेत पत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया कि आंतरिक बाज़ार की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सभी प्रस्तावों पर आवष्यक चर्चा, अभिग्रहण तथा कार्यान्वयन 1985 तथा 1992 के बीच की समय–सारिणी के अनुसार हो जाना चाहिए। आयोग का विचार था कि समुदाय के स्तर पर आवष्यक कानून निर्माण का कार्य प्रारंभिक वर्षो में पूरा हो जाना चाहिए तथा विभिन्न सदस्य देषों को आवष्यक कार्यान्वयन कानून बनाने के लिए कम से कम दो वर्ष का समय दिया जा सके। इसके लिए 1988 के अंत तक आयोग ने लगभग 90 प्रतिषत कार्यक्रम परिषद् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अप्रैल 1990 तक आंतरिक बाज़ार कार्यक्रम का पूर्व–वैधानिक चरण (Pre-Legislature Phase) पूरा हो गया और आयोग में अपना आखिरी प्रस्ताव परिषद् को सौंप दिया। दिसम्बर 1990 तक परिषद् ने 200 प्रस्तावों के बारे में या तो निर्णय ले लिया था अथवा सांझी सहमति हो चुकी थी। तथापि समुदाय के बहुत सारे कानूनों को विभिन्न देषों के राष्ट्रीय कानूनो ंमे परिवर्तन करने की आवष्यकता थी तथा उन कानूनों का सख्ती से कार्यान्वयन करने की भी जरूरत थी।

श्वेत पत्र का मुख्य कार्य "मूल संधि के उद्देष्यों के प्रति एक नया फोकस, प्रोत्साहन तथा गतिषीलता का प्रवाह करना था जिसका विकास अत्यधिक धीमी गति से हो रहा था और कई मामलों में यह अपने उद्देष्य से भटकत जा रहा था। अतः श्वेत पत्र में जो कुछ भी सुझाया गया उसमें कुछ नया नहीं था। इसे केवल मंत्रीपरिषद ंके फैसलों का इंतजार था" (नुगेन्ट, पृष्ठ 299)।

5.4 सचीनी रिपोर्ट

1980 के दषक के मध्य में आर्थिक संघटन में गतिरोध के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे थे तथा यूरोपीय समुदाय में कई तरह के सीमाषुल्क हीन अवरोध (non-tariff barriors) अभी भी चल रहे थे। ऐसा तर्क दिया गया कि एक विषाल एकल अमेरिकन बाज़ार ने अमेरिकन कम्पनियों के नवीनीकृत उत्पादों को यूरोपीय समुदाय के लिए वाणिज्यिक रूप से संभव होने के कई वर्ष पहले ही बाज़ार में उतारने के योग्य बना दिया। ये आर्थिक तर्क एक अध्ययन में रेखांकित किए गए जो यूरोपीय समुदाय के अनुरोध पर पाओलो सचीनी (Paolo Cecchini) की अध्यक्षता में कई आर्थिक विषेषज्ञों, सलाहकारों तथा शोध

संस्थानों द्वारा किया गया जिसे सचीनी रिपोर्ट 1988 कहा गया। इसमें "बाज़ारों के विकेन्द्रीकरण" के बने रहने तथा ग़ैर–एकल बाज़ार (Non-Single Market) की कीमत आँकने का प्रयास किया गया। यह कहा गया कि "ग़ैर यूरोपीय बाज़ार" गुणमूलक तथा संख्यामूलक दोनों दृष्टिकोणों से ग़ैर–प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग, उत्पादन के निम्न स्तर, नवीनीकरण की कमी आदि के बाद भी यह महँगा रहा है। सचीनी रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाया कि यदि बाज़ार–अवरोधों को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाता है तो इसके अनेक लाभ होंगेः रिपोर्ट के निष्कर्ष निम्नलिखित थेः

(क) 1988 को आधार वर्ष मानते हुए, सम्पूर्ण यूरोपीय समुदाय को आंतरिक बाज़ारों के पूरा हो जाने के बाद होने वाले संभावित लाभ को ECU 200 बिलियन (ECU – European Currency Unit) अथवा उससे भी अधिक आंका गया है। ऐसी आशा थी कि यह यूरोपीय समुदाय के कुल घरेलू उत्पाद में लगभग 5 प्रतिषत की वृद्धि करेगा।

(ख) ऐसा अनुमान लगाया गया कि मध्यम अवधि के दृष्टिकोण से, यूरोपीय समुदाय के बाज़ार संघटन से उपभोक्ता कीमतों में औसतन 6 प्रतिषत की गिरावट आएँगी, तथा उत्पादन में वृद्धि होगी, रोज़गार तथा जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। यह भी अनुमान लगाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कीमतों के दृष्टिकोण से यह सकल घरेलू उत्पाद में 2.2 प्रतिषत की वृद्धि करेगी तथा दूसरे देषों के साथ यूरोपीय समुदाय के व्यापार में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product; GDP) में 1 प्रतिषत की वृद्धि देखने की मिलेगी।

(ग) सीमाओं की औपचारिकता की सीधी लागत के बारे में (निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की प्रषासनिक लागत को मिलाकर) अनुमान लगाया गया कि यह समुदाय के अंदर खरीदे–बेचे जाने वाले सामान के कुल मूल्य का लगभग 1.8 प्रतिषत होगी। इसमें सम्पूर्ण आंतरिक बाज़ार के लिए उद्योगों के अन्य अंतरोधों की कीमत जैसे प्रत्येक राज्य के उत्पादों के उत्पादन तथा विपणन के भिन्न राष्ट्रीय तकनीकी नियमन, जो लगभग कम्पनी की कुल लागत के करीब 2 प्रतिषत थे भी जोड़ दी गई । अतः

इन सबको मिलाकर भी उद्योगों की मूल्य वृद्धि में लगभग 3.5 प्रतिषत का फायदा साफ दिखाई दे रहा था।

(घ) ऐसा भी अनुभव किया गया कि यूरोपीय उद्योग की अर्थव्यवस्था में अभी काफी ऐसी क्षमता है जिसका उपयोग नहीं किया गया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि कुल यूरोपीय उद्योग के 1/3 भाग की कीमतों में कमी से (उद्योग के क्षेत्र पर निर्भर करते हुए) 1 से 7 प्रतिषत का फायदा हो सकता है। अर्थव्यवस्था के व्यापक होने से लागत कीमत में औसतन कुल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिषत की कमी भी आ सकती है।

(ङ) एकल बाज़ार की रचना से 18 लाख नई नौकरियाँ निकलेंगी जिससे यूरोपीय समुदाय में बेरोज़गारी की दर में 1.5 प्रतिषत तक की कमी आएगी। (यूरोपीय संघ, *यूरोप विदआउट फंटियर्स – कम्पलिटिंग दी इंटरनल मार्केट, यूरोप डाक्यूमेंटेषन 2/1989* (लुक्समबर्ग, 1989) पृष्ठ, 13 व 15)

यह तर्क भी दिया गया कि निरंतर प्रतिस्पर्धा से कीमतों में कमी आएगी, माँग, उत्पादन, पैदावार, शोध एवं विकास में वृद्धि होगी तथा नई नौकरियों की व्यवस्था होगी। हालाँकि कई अर्थषास्त्रियों ने सचिनी रिपोर्ट की इस आधार पर आलोचना की कि इसने लाभों को बढ़ा–चढ़ाकार पेष किया है परन्तु इस रिपोर्ट के प्रकाषित होने के बाद एकल बाज़ार को पूरा करने के लिए चली विस्तृत चर्चा ने औपचारिक संघटन के प्रयत्नों को और आगे बढ़ाने के शक्तिषाली उत्प्रेरण (catalyst) का कार्य किया।

5.5 एकल यूरोपीय अधिनियम, 1987

मिलान यूरोपियन परिषद ने अपनी जून 1955 की बैठक में स्वीकार किया कि एकल बाज़ार की स्थापना के लिए अपनाए जाने वाले वैधानिक उपाय तब तक सफल नहीं होंगे जब तक यूरोपीय समुदाय के निर्णय–निर्माण के नियमों को संषोधित नहीं किया जाएगा। इस तथ्य तथा इस अहसास ने कि संधि सम्बन्धित कुछ अन्य मामलों में भी संषोधन की आवष्यकता है, एक अंतरसरकारी कान्फ्रेंस (Intergovernment Conference; IGC) की

स्थापना करने पर मज़बूर किया जो इन संधि सम्बन्धी सुधारों के बारे में समझौता करके उन्हें तैयार करेगी। अंतरसरकारी कान्फ्रेंस ने जून 1985 में अपना कार्य आरंभ किया तथा सभी सलाह मषवरे वर्ष के अंत तक पूरे कर लिए। दिसम्बर 1985 में लग्ज़मबर्ग में सरकारों तथा राज्यों के अध्यक्षों के षिखर सम्मेलन में सभी सदस्य–राज्यों ने एकल यूरोपीय अधिनियम (Single European Act; SEA) को स्वीकार कर लिया जिस पर फरवरी 1986 में औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर किए गए। परन्तु यह 1 जुलाई 1987 से पहले लागू नहीं हो सका क्योंकि आयरलैंड में अनुमोदन सम्बन्धी कुछ मुष्किलें आ गई। एकल यूरोपीय अधिनियम रोम की संधि में सबसे बड़ा पहला संषोधन था। पष्चिमी यूरोप की व्यापार प्रक्रिया में इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। एकल यूरोपीय अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थेः

1) एकल यूरोपीय अधिनियम ने आंतरिक बाज़ार की स्थापना तथा कार्यों से संबंधित लिए जाने वाले निर्णयों के लिए पुरानी संधि की "सर्वसम्मति" की शर्त को "सीमित बहुमत मतदान" (Qualified Majority Voting; QMV) में बदल दिया (जिसके कारण निर्णय प्रणाली एक जटिल तथा लम्बी प्रक्रिया बन गई थी तथा इसने विकास की गति को सबसे धीमे राज्य के साथ जोड़ दिया था)। मन्त्रि परिषद् में सीमित बहुमत मतदान की प्रक्रिया लागू होने के बाद उदारीकरण के रास्तें में यूरोपीय समुदाय के छोटे सदस्य देषों द्वारा बाधाएँ खड़ी किए जाने की संभावना पर रोक लगा दी। परिणामस्वरूप, अब बड़े देष (ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि) कुछ अन्य देषों के साथ मिल कर एकल बाज़ार के कार्यान्वयन से संबंधित कदमों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे।

2) सीमित बहुमत मतदान ने एक नई वैधानिक कार्य प्रणाली, जिसे सहयोगी कार्य प्रणाली (Cooperation Procedure) कहा गया, प्रारंभ की, जिसने यूरोपीय संसद को यह अधिकार दिया कि वह यूरोपीय समुदाय की वैधानिक प्रक्रिया में और अधिक मदद करें। सहयोगी कार्य प्रणाली के अंतर्गत यूरोपीय परिषद् (European Council) और आयोग (Commission) दोनों के यूरोपीय संसद के साथ निकट सहयोग पर बल दिया गया, विषेषकर प्रस्तावों के पहले तथा दूसरे अध्ययन में जब

वे आयोग के रास्ते से होकर परिषद् के पास अंतिम अधिग्रहण के लिए जाएँगे। हालाँकि मतदान के नए नियमों तथा सहयोगी कार्य प्रणाली ने सभी संस्थाओं द्वारा तुरंत निर्णय लेने में आसानी कर दी परन्तु ये समस्त प्रक्रिया के अंत में वैधानिक अधिनियम को अपनाने की गारंटी नहीं दे सके क्योंकि यह बहुत कुछ सदस्य–राज्यों की राजनीतिक इच्छा पर ही निर्भर रहा।

3) एकल यूरोपीय अधिनियम ने मूल संधियों में कई तरह के संषोधन जैसे सामाजिक तथा आर्थिक एकता के नए नीति क्षेत्र, पर्यावरण, शोध तथा तकनीकी सहयोग आदि लागू किए।

4) एकल यूरोपीय अधिनियम ने 1970 के दषक से चले आ रहे यूरोपीय राजनीतिक सहयोग (European Political Cooperation; EPC) को एक नया जोष तथा कानूनी आधार दिया, परन्तु यह संधियों में निहित करके नहीं किया गया। एकल यूरोपीय अधिनियम ने यूरोपीय राजनीतिक सहयोग के वर्तमान उद्देष्यों का पुष्टीकरण किया तथा यूरोपीय राजनीतिक सहयोग के निर्णय निर्माण को अंतरसरकारी आधार पर सर्वसम्मति द्वारा लिए जाने की बात की। एकल यूरोपीय अधिनियम का एक अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष ब्रस्सल्स में यूरोपीय राजनीतिक सहयोग के लिए स्थायी सचिवालय की स्थापना करना था।

5) एकल यूरोपीय अधिनियम ने यूरोपीय संस्थाओं के निर्माण में यूरोपीय संसद की भूमिका तथा प्रभाव में काफी वृद्धि कर दी। इसने एक "सहमति कार्य प्रणाली" (Assent Procedure) आरंभ की जिसके अंतर्गत समुदाय में नए सदस्यों के प्रवेष तथा समुदाय एवं तृतीय देषों के साथ सांझेदारी समझौतों के लिए यूरोपीय संसद का परिषुद्ध समर्थन आवष्यक हो गया।

6) इस अधिनियम ने यूरोपीय परिषद् के ढाँचे के अंतर्गत होने वाली सदस्य–राज्यों की सरकारों के अध्यक्षों की बैठकों (जो 1975 से होती चली आ रही थी) को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी।

7) यूरोपीय न्यायिक न्यायालय (European Court of Justice) की क्षमता में वृद्धि करने के लिए एकल यूरोपीय अधिनियम ने एक नए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टान्स (Court of First Instance) की स्थापना की।

एकल बाज़ार की उपलब्धि की दिषा में एकल यूरोपीय अधिनियम का महत्व इस बात में है कि इसने 1992 तक एकीकृति बाज़ार बनाने के लिए आवष्यक राजनीतिक आवेग तथा कानूनी संरचना प्रदान की। एकल यूरोपीय अधिनियम के ये संस्थागत सुधार न केवल एकल बाज़ार की स्थापना के लिए बल्कि आर्थिक एवं मौद्रिक एकीकरण की दिषा में भी अनिवार्य सिद्ध हुए। एकल यूरोपीय अधिनियम के निर्माण के बाद यूरोप में एक नया जोष तथा आषा दिखाई दी। इसने यूरोप को एक नया लक्ष्य और उद्देष्य दिया कि वह अमेरिका तथा जापान का मुकाबला करने के लिए आवष्यक सहक्रिया का निर्माण कर सके।

5.6 एकल बाज़ार की प्रमुख विषेषताएँ

एकल बाज़ार का सबसे बड़ा उद्देष्य सीमा षुल्क एवं भौतिक अवरोध (जैसे सीमाओं पर नियंत्रण जो प्रषासनिक बोझ, लाल–फीताषाही, देरी, रूकावट आदि), तकनीकी अवरोध (जैसे विभिन्न राष्ट्रीय उत्पाद मानक, तकनीकी अधिनियम, व्यवसाय कानून आदि), तथा वित्तीय अवरोध (जैसे वैट (Value Added Tax; VAT) की विभिन्न दरें, कई प्रकार की आर्थिक रियायतें, उत्पाद–षुल्क आय) आदि अवरोधों की समाप्ति था।

व्यक्तियों के मुक्त आवागमन का अर्थ था कि कोई भी व्यक्ति अथवा कम्पनी सदस्य–राज्यों के किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना व्यवसाय स्थपित कर सकते थे। इसके लिए, गौण कानूनों तथा न्यायिक निर्णयों ने कई शैक्षणिक, व्यावसायिक तथा व्यापारिक अर्हताओं की परस्पर मान्यता का आष्वासन देकर प्रक्रिया को आसान बनाया। इसके अतिरिक्त कुछ "मुख्य सरलीकर्त्ताओं" (Key facilitators) जैसे, षिक्षा, व्यवसाय प्रषिक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा अथवा सामाजिक सुरक्षा अदायगियों के लिए बिना किसी राष्ट्रीयता अथवा निवास स्थान की शर्त के, सभी के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनी अधिकारों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया (नुगेन्ट, 2003, पृष्ठ 300)। व्यक्तियों के मुक्त आवागमन को शेनगेन समझौते

(Schengen Agreements) के अन्तर्गत सुरक्षित किया गया है जो यूरोपीय संघ की आंतरिक सीमाओं पर लगे अवरोधों को हटाता है तथा यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं (अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों समेत) पर नियंत्रण को सषक्त बनाता है। ब्रिटेन और आयरलैण्ड ने शेनगेन समझौते को अपनी स्वीकृति नहीं दी है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ में प्रवेष करने वाले नए दस सदस्य–राज्यों पर भी यह लागू नहीं होता।

1980 के दषक के अन्त तक, पूँजी के मुक्त आवागमन की प्रक्रिया में तेजी लाना बहुत मुष्किल था क्योंकि कई सदस्य–राज्यों के लिए यह महत्वपूर्ण आर्थिक एवं मौद्रिक यंत्र था और वे इन सामर्थ्यों को यूरोपीय समुदाय को हस्तांतरित नहीं करना चाहते थे। 1990 तक आते–आते पूँजी का मुक्त आवागमन आरंभ हो गया। हालाँकि कर प्रणाली की दरों तथा बैंकिंग से संबंधित कानूनों में अभी पूरी तरह समन्वय नहीं हो सका। वित्तीय सेवाओं में एकीकृत बाज़ार 2005 में निर्मित किया गया जिसने कम्पनियों एवं उपभोक्ताओं के लिए ऋण की दरें कम दर दीं। यह बचत करने वालों के लिए सम्पूर्ण यूरोप की किसी भी कम्पनी के विभिन्न निवेष यंत्रों में से चयन करने की सुविधा भी देगा।

एकल बाज़ार का एक महत्वपूर्ण तत्व एकल बाज़ार के निर्माण तथा कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले सदस्य–राज्यों के कानूनों, नियमनों तथा प्रषासनिक प्रावधानों में सादृष्यता लाना है (TEC का अनुच्छेद 94)। अन्ततोगत्वा इस सादृष्यता का उद्देष्य "ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना है जो सम्पूर्ण यूरोपीय संघ में व्यक्तियों, वस्तुओं, सेवाओं तथा पूँजी के लिए समरूप व्यवहार को प्रोत्साहित करें तथा उसमें वृद्धि करे" (नुगेन्ट, पृष्ठ 302)।

एकल बाज़ार मुख्यतः प्रतिस्पर्धा तथा नियामक सत्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त आवागमन के न्यूनतम स्तर का आष्वासन देने पर निर्भर करता है। यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धा नीति के मूल नियम TEC के अनुच्छेद 81 से 89 में वर्णित किए गए हैं। इन प्रावधानों का सम्बन्ध मूलतः प्रमुख व्यापारिक स्थितियों, राज्य के अनुदान तथा प्रतिबंधक प्रक्रियाओं से है क्योंकि एक प्रभावषाली प्रतिस्पर्धा नीति एक मुक्त एवं एकीकृत बाज़ार की समर्थक है। अतः यूरोपीय आयोग ने हाल ही में एक दोहरी नीति अपनाई है। जहाँ एक

तरफ यह प्रत्यक्ष अनाचार के मामलों की सक्रियता से जाँच करता है, वहाँ यह प्रतिस्पर्धा नीति के आधार में वृद्धि करने वाले कानूनों को तुरन्त स्वीकृति दे देता है (नुगेन्ट, पृष्ठ 303)।

आवागमन की चार स्वतंत्रताओं – वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों तथा पूँजी – को कई अन्य समर्थक नीतियों के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ की अविष्वास नीति (Anti-trust Policy) के अधीन कम्पनियों को आपस में कीमतें निष्चित करने अथवा बाज़ार बाँटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक सदस्य–राज्य के नागरिकों को दूसरे राज्य में आवागमन को भी आसान बना दिया गया है; विभिन्न देष एक दूसरे की शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यताओं को मान्यता देते हैं। इस प्रकार के अवरोधों को समाप्त करके तथा राष्ट्रीय बाज़ारों को खोलने से अधिकतर कम्पनियों की परस्पर प्रतिस्पर्धा संभव हो सकी है। इससे उपभोक्ताओं के लिए केवल कीमतों में ही कमी नहीं हुई है; उनके पास वस्तुओं एवं सेवाओं के विकल्प भी अब अपेक्षाकृत अधिक हैं।

यूरोपीय संघ के विभिन्न विस्तारों (यूरोपीय संघ–15 से यूरोपीय संघ–25 तक जब मई 2004 में केन्द्रीय तथा पूर्वी यूरोप के 10 नए देषों को सदस्यता प्रदान की गई) ने 454 मिलियन उपभोक्ताओं का एकल बाज़ार स्थापित कर दिया है। बुल्गारिया तथा रोमानिया के प्रवेष के बाद यूरोपीय संघ–27 के एकल बाज़ार में 48.4 मिलियन उपभोक्ता हो जाएँगे।

5.7 एकल बाज़ार के प्रभाव

ऐसी आषा की गई कि अन्य सदस्य–राज्यों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सभी सस्ती वस्तुओं और सेवाओं से आर्थिक लाभ होंगे, तीव्र प्रतिस्पर्धा से कार्य कुषलता में सुधार आएगा, राष्ट्रीय बाज़ारों में एकाधिकार समाप्त होगा, उत्पादन में प्रति इकाई लागत में कमी आएगी, नवीनीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा नए उत्पादों तथा प्रक्रियाओं का विकास होगा। इन सबका लाभ उपभोक्ता को तो होगा ही, यही नहीं वस्तुएँ सस्ते दामों पर मिलेंगी और ऐसी व्यवस्था अधिक आर्थिक लाभ को जन्म देगी। इससे लागत तथा समय दोनों में बचत होगी क्योंकि अब सीमाओं पर होने वाली देरी तथा नौकरषाही से भी मुक्ति मिल

जाएगी। कुछ लोगों को यह डर भी था कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कहीं सीमा पार की एकाधिकारी कम्पनियों द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा को जन्म न दे दे जिसे यूरोपीय आयोग द्वारा रोकना जरूरी होगा।

आंतरिक बाज़ार के पूरा हो जाने के बाद सदस्य–राज्य कई आर्थिक नीति के यंत्रों से वंचित हो जाएँगे तथा यह अभी तक आश्रित आर्थिक गतिविधियों का महाद्वीपीय प्रतिस्पर्धा के सामने भंडाफोड़ कर रख देगी। सार्वजनिक स्तर पर, यह कुछ हस्तक्षेपों की मनाही अथवा समन्वित प्रावधानों को मानने की बाध्यता को जन्म दे सकती है जो सार्वजनिक नीति की स्वायत्ता को सीमित करती है। निजी स्तर पर, सुरक्षित क्षेत्रों के यूरोपीकरण में तेजी से वृद्धि होगी। अन्तर–यूरोपीय आयोग व्यापार तथा निवेष का तकनीकी तथा कानूनी ढाँचा (तकनीकी नियम, मानक, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, विलय आदि) समुदाय के स्तर पर स्थानान्रित कर दिया जाएगा (जेक्यूस पेल्कमेन्स, पृष्ठ, 366)।

यद्यपि यूरोपीय संघ में आर्थिक संघटन का स्तर काफी गहरा हो चुका है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार में सीमाएँ अभी भी "शक्तिषाली बाधाओं" (formidable constraints) का कार्य करती है। यह तथ्य "उन क्षेत्रों पर भी लागू होता है जहाँ यूरोपीय संघ ने व्यापार के मार्ग में आने वाले नियामक अवरोधों को हटा दिया है और जहाँ व्यापार में विभिन्न राष्ट्रीय नियमन (regulations) कोई महत्वपूर्ण अवरोध नहीं समझे जाते। यदि संघटन की प्रक्रिया चलती रहती है तो ऐसा संभव है कि अधिकाधिक क्षमताएँ राष्ट्रीय स्तर से यूरोपीय संघ के स्तर पर हस्तांतरित हो जाएगी तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्वायत्त नीति पहल के आसार अपेक्षाकृत कम हो जाएँगे" (ब्रीन्टोन, 2001, पृष्ठ 8 – 9)।

राजनीतिक तथा संस्थागत दृष्टिकोण से, सम्पूर्ण एकल बाज़ार की उपलब्धि का अर्थ होगा "सकारात्मक संघटन पर व्यापक निर्भरता, घरेलू सूक्ष्म–आर्थिक नीतियों के लिए अपेक्षाकृत कम स्वायत्तता, घरेलू टैक्स नीतियों के लिए कम लचीलापन, तथा सूक्ष्म – आर्थिक नीतियों में समन्वयन के प्रति कटिबद्वता" (जैसे सार्वजनिक ऋण का आकार आदि) (पेल्कमेन्स, पृष्ठ 367)। ऐसी आषा भी की गई कि एकल बाज़ार की रचना के परिणामस्वरूप होने वाली

विस्तृत प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक ढाँचागत पुनःनिर्माण, विलय और अधिग्रहण आदि से जहाँ कईयों को लाभ होगा वहाँ कुछ को नुक़्सान भी हो सकता है।

यूरोप से बाहर, ऐसा डर था कि एकल बाज़ार का उदय अर्न्तमुखी "किलेबन्द यूरोप" (inward-looking Fortress Europe) को जन्म दे सकता है जो व्यापार को बढ़ाने के बजाय उस पर सीमाएँ लगाएगा और यह समायोजन के बोझ को विदेषी निर्यातकों पर डालना चाहेगा। ऐसा अनुभव भी किया गया कि स्पेन तथा पुर्तगाल संरक्षणवाद के संभावित मुखर (vocal) समर्थक के रूप में उभर सकते हैं।

5.8 बाधाएँ

एकल यूरोपीय बाज़ार की स्थापना की दिषा में सारगर्भित विकास के बावजूद, एक पूर्णतया मुक्त एवं संघटित बाज़ार में तीन प्रकार की बाधाएँ हैं। पहले प्रकार की अस्पष्ट, परन्तु अत्याधिक महत्वपूर्ण बाधाएँ (obstacles) विभिन्न संस्कृतियों, प्रथाओं, भाषाओं तथा भिन्न ऐतिहासिक अनुभवों से संबंधित हैं जिन पर धीरे–धीरे विजय पाई जा रही है। दूसरे, वे सदस्य–राज्यों से जो अभी भी अपने राष्ट्रीय हितों के प्रति सजग हैं, एकल बाज़ार के विषिष्ट पक्षों को अपनाने अथवा उनके विकास में बाधा डालते नजर आ रहे हैं। तीसरे, सामान्यतः यह भी स्वीकार किया जाता है कि यूरोलैण्ड एकल मौद्रिक तथा विनिमय दर नीतियों में कुछ सदस्य–राज्यों की ग़ैर–भागेदारी, सार्वजनिक सांझी क्षेत्रीय, सामाजिक, पर्यावरण सम्बन्धी, परिवहन तथा उपभोक्ता नीतियों का आंषिक विकास, निगमों की प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में विभिन्नता – ये कुछ ऐसे कारक हैं जो कभी भी एकल बाज़ार परियोजना का औपचारिक तौर से हिस्सा नहीं बन पाए परन्तु जो संपूर्ण बाज़ार संघटन में बाधाओं का काम करते रहे हैं (नुगेन्ट, पृष्ठ 304–305)।

5.8 सेवाओं से संबंधित निर्देष

सेवाओं के व्यापार में अंतर–यूरोपीय संघ का स्तर काफी नीचा है (लगभग 20 प्रतिषत), हालाँकि सेवा क्षेत्र यूरोपीय संघ की आर्थिक गतिविधियों का 2/3 भाग है तथा लगभग 70

प्रतिषत कामगार इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं। मुक्त आवागमन के सिद्धान्त ने निहित स्वार्थी हितों (जो वाणिज्यिक अथवा मज़दूर संघों के हो सकते हैं) को उपभोक्ताओं के उत्पाद की पूरी रेंज तथा सेवाओं के स्तर तक पहुँच (जो अन्य सदस्य–राज्यों में उपयुक्त माने जाते हैं) से वंचित रखने की योग्यता को लगभग समाप्त कर दिया है।

सन् 2001 में यूरोपीय आयोग ने एक प्रमुख उपक्रमण (Initiative) आरंभ किया जिसे सेवाओं से संबंधित निदेष (Services Directive) अथवा बोल्कस्टीन निदेष (Bolkestein directive) कहा गया क्योंकि यह आंतरिक बाज़ार आयुक्त फ्रिट्स बोल्कस्टीन (Internal Market Commissioner Fritis Bolkestein) के नाम पर रखा गया। इस निदेष का उद्देष्य आंतरिक बाज़ार की व्यवहारिक कार्यविधि में सुधार लाना था। यह आष्वासन दिया गया कि सेवा प्रबंधक सारे यूरोपीय समुदाय में वही सेवाएँ उपलब्ध करवा सकते हैं जो कि किसी एक सदस्य–राज्य विषेष में दे रहे हैं [यूरोपीय आयोग, *ए इंटरनल मार्केट स्ट्रेटजी फॉर सर्विस,* सी ओ एम 2000 (888) 29.12.2000, http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/com-2000-888/com-2000-888_en.pdf पर उपलब्ध]। यह सब कुछ लिस्बन यूरोपीय परिषद् (Lisbon European Council) के विषेष अनुरोध पर किया गया ताकि यूरोपीय संघ को 2010 तक विष्व की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। यूरोपीय सेवा निदेष का उद्देष्य सेवा क्षेत्र के व्यापार में वही कुछ करना था जो 1992 में वस्तुओं के लिए आंतरिक बाज़ार की रचना के संदर्भ में किया गया था। इस निदेष में "उद्गम–देष" (Country of Origin) का सिद्धान्त निहित किया गया जिसके अनुसार सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों को केवल अपने मूल देष के कानूनी तथा दस्तावेजी मानकों के अनुरूप कागजपत्र अपने पास रखना आवष्यक था।

कार्यनीति (Strategy) के अन्तर्गत, आयोग ने 2001 में जहाँ एक तरफ विषिष्ट समस्या क्षेत्रों (जैसे अर्हताओं अथवा बिक्री प्रोत्साहन को मान्यता देना) में कई उपक्रमणों को सक्रियतापूर्वक आरंभ किया, वहाँ दूसरी तरह सेवाओं के क्षेत्र में सीमा–पार आवागमन में आने वाले अवरोधों का भी सख्ती से विष्लेषण किया तथा जहाँ आवष्यक समझा उल्लंघन करने वाली कार्य प्रणालियों को समझने की कोषिष की जो सेवाओं में सीमापार प्रतिस्पर्धा में बाधा डालती थीं, विकल्पों को सीमित करती थी, व्यवसाय तथा निजी ग्राहकों के लिए

कीमतों में इज़ाफा करती थी एवं जिनके चलते आर्थिक विकास एवं "नौकरियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इस संदर्भ में आयोग ने लाइसेंस अथवा परमिट लेने की लंबी तथा जटिल प्रक्रियाएँ, कानूनी माँगों व अपेक्षाओं पर सूचनाओं का अभाव, किसी देष में स्थायी आधार बनाने की शर्तें, तथा राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव जैसे 90 अवरोधों को पहचाना। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री के शब्दों में, "ये केवल उन 90 अवरोधों में से हैं जिन्हें हमने पहचाना है। इनका मिला–जुला प्रभाव प्रतिस्पर्धा को सीमित करना है जिसके परिणामस्वरूप प्रापक (receipients) को कम विकल्प तथा बदतर सेवा मिलती है परन्तु उसे अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।" (ब्रिटेन के व्यापार मंत्री मैककार्टनी द्वारा ब्रिटिष पार्लियामेंट के सदस्यों को दिया गया भाषण, मई 2006 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4698525.stm में उद्धृत)। कार्यनीति के अन्तर्गत 2002 में आयोग ने एक निष्चित समय–सारिणी बनाई जिसके अन्तर्गत सभी सदस्य–राज्यों को उपरोक्त पहचाने गए अवरोधों को समाप्त करना होगा, आचार संहिता जैसे ग़ैर–वैधानिक समर्थ उपाय (non-legislative supporting measures) प्रस्तुत करने होंगे तथा जहाँ अति आवष्यक हो, सेवा प्रावधान के लिए समविष्ट नियम प्रस्तावित करने होंगे। इसके लिए एक ऐसे रचनातंत्र का सुझाव उचित समझा गया जिससे यह आष्वस्त किया जा सके कि सदस्य–राज्य एक दूसरे के कानूनों एवं व्यवहारों को मान्यता देंगे, न कि वे अपने कानून थोपेंगे। यह भी आवश्यक माना गया कि सार्वजनिक हित के उद्देष्यों के उच्च स्तर की सुरक्षा भी आष्वस्त की जा सके (यूरोपीय आयोग, प्रेस रिलीज, आई पी/01/31 *"दि इंटरनल मार्केट स्ट्रेटजिक फॉर सर्विसिजः कमीषन लांचस न्यू स्ट्रेटेजी टू डिसमेंटल रिमेनिंग बैरियर्स"* 11 जनवरी 2001)।

सामाजिक सुरक्षा के उच्च मानदण्डों वाले राज्यों के लिए सेवा निदेष एक चिन्ता का विषय था। उन्हें डर था कि सस्ती विदेषी कम्पनियाँ उनकी घरेलू कम्पनियों को मात दे देगीं। यह भी डर था कि यह निदेष बरसों पुरानी सामूहिक समझौता प्रक्रिया को न्यायालय की तरफ मोड़ देगा जहाँ भी सेवा कम्पनियों को ऐसा अनुभव होगा कि उनके साथ अनुचित भेदभाव हो रहा है। वे कम्पनियाँ तथा मज़दूर संघ, जिन्हें उच्च वेतन/निम्न प्रतिस्पर्धा के वातावरण में काम करने की आदत पड़ी हुई थी, इस बात से चिन्तित थे कि प्रतिस्पर्धा से उनके वेतन में कमी आ सकती है। यूरोपीय संसद ने इस निदेष में कुछ परिवर्तन किए

जिसके अनुसार अब इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह श्रम कानूनों तथा काम करने के घंटों, न्यूनतम वेतन, छुट्टियों, हड़ताल के अधिकार से संबंधित नियमों को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगा। सबसे अधिक विवाद निदेष में निहित किए गए उद्गम देष के सिद्धान्त को लेकर था जिसमें कोई कम्पनी जो किसी दूसरे देष में सेवाएँ प्रदान कर रही है वह अपने मूल देष के कानूनों तथा नियमों से संचालित होगी। कुछ देषों तथा मज़दूर संघों को डर था कि इसके चलते कई कम्पनियाँ उन देषों में अपना व्यवसाय स्थानान्रित कर लेगीं जहाँ वेतनमान निम्न हैं और जहाँ उपभोक्ता, पर्यावरण सुरक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, सुरक्षा नियम आदि काफी कमजोर हैं अथवा जहाँ विदेषी कामगारों की संख्या अधिक है।

सदस्य–राज्यों में फ्रांस तथा जर्मनी दो ऐसे अगुआ देष थे जिन्होंने मार्च 2005 में सेवा निदेषों का विरोध किया। परन्तु बाद में जर्मनी के चांसलर ऐंजला मरकल की मिली–जुली सरकार ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया तथा सेवा निदेषों के एक नए प्रपत्र (agreement) पर शीघ्र समझौता करने का अनुरोध किया। ब्रिटेन, नीदरलैण्ड, स्पेन, पौलेण्ड, चेक गणराज्य तथा हंगरी ने फरवरी 2006 में यूरोपीय संसद में प्रथम पठन से पहले ही एक चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए जिसमें यूरोपीय आयोग से अनुरोध किया कि वह सेवा निदेष के एक ऐसे व्यापक स्वरूप का समर्थन करे जो "सच्चे अर्थों में क्रियात्मक आंतरिक बाज़ार" की रचना करे। मई 2006 में सदस्य–राज्यों ने एक सर्वमान्य स्थिति (common position) को अपनी सहमति दी तथा नवम्बर 2006 में द्वितीय पठन में यूरोपीय संसद ने निदेष को अपनी मंजूरी दी। तथापि इसके 2009 अथवा 2010 से पहले कानून बनने के आसार नहीं हैं क्योंकि सभी सदस्य–राज्यों द्वारा इसे अपने राष्ट्रीय कानून में परिवर्त्तित करने में लगभग तीन वर्ष का समय तो लग ही सकता है।

यूरोपीय आयोग का अनुमान है कि उत्तरोत्तर प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्र उत्पाद गुणवत्ता में बढ़ोतरी से अन्तर यूरोपीय संघ निर्यात में इजाफ़ा होगा। इसी तरह दीर्घकालीन दृष्टिकोण से, सेवाओं में सीमा–पार व्यापार एवं निवेष के मुक्त आवागमन से नई नौकरियाँ पैदा होंगी, आर्थिक वृद्धि होगी तथा जनकल्याण की संभावनाएँ बढ़ेगी। यूरोपीय आयोग के अनुमानुसार, यह वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिषत तथा नई नौकरियों में 25 लाख तक की बढ़ौतरी हो सकती है।

5.10 सारांष

इस इकाई में आपने एकल बाज़ार (जो आज यूरोपीय संघ की केन्द्रीयभूत संस्था है) की स्थापना तथा इसके प्रभावों का अध्ययन किया। इसे मूर्त आकार देने में यूरोपीय संघ की संस्थाओं तथा सदस्य–राज्यों ने 1985 से दृढ़ निष्चय से आरंभ करके सात सालों में सैकड़ों प्रकार के निदेषकों का मसौदा तैयार किया तथा अपनाया जो तकनीकी, नियामक, कानूनी, नौकरषाही, सांस्कृतिक तथा संरक्षणकारी अवरोधों को समाप्त करने के लिए आवष्यक थे ताकि यूरोपीय संघ के अन्दर मुक्त व्यापार तथा मुक्त आवागमन संभव हो सके। एकल बाज़ार की स्थापना की परियोजना व्यावसायिक तथा निगमों के हितों से प्रेरित थी। अतः इसमें वैसी लोक कल्पना अथवा जन साधारण में सक्रियता देखने को नहीं मिली जो यूरो के प्रचलन के समय यूरोपीय जनमत में देखने को मिली थी। तथापि यूरोपीय एकल बाज़ार 1993 में पूरी तरह स्थापित नहीं किया जा सका। व्यापार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए विषेषतः सेवाओं के क्षेत्र में अभी काफी काम किया जाना बाकी है। यही नहीं वर्तमान नियमों के कार्यान्वयन में सुधार करना; सरकार के सभी स्तरों पर प्रापण सम्बन्धी कानूनों के परिपालन को प्राथमिकता देना, पैटेन्टिग प्रक्रिया को कानूनी हथियारों से सुरक्षित तथा आर्थिक दृष्टिकोण से समर्थ बनाना तथा बौद्धिक एवं औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार सुरक्षा के प्रावधानों को लागू करने में भी समय लग सकता है।

एकल बाज़ार की स्थापना के कई प्रत्यक्ष लाभ हैं। अवरोधों के समाप्त हो जाने से, अब वस्तुओं, सेवाओं तथा पूँजी का यूरोप के एक देष से दूसरे देष में आवागमन संभव हो गया है। राष्ट्रीय यूरोपीय संघ बाज़ार के आरंभ होने के बाद राष्ट्रीय टेलीफोन की दरें दस साल पहले के मुकाबले में नगण्य रह गई हैं। प्रतिस्पर्धा के दबाव में चलते, यूरोप में हवाई जहाजों के किरायों में अत्यधिक कमी आई है। राष्ट्रीय अवरोधों की समाप्ति ने यूरोप के 1.5 करोड़ लोगों को यूरोपीय संघ के दूसरे देषों में जाकर काम करने अथवा सेवानिवृत्त जीवन यापन का अवसर प्रदान किया है। अपने पहले दस सालों में (1 जनवरी 1993 से लेकर) एकल बाज़ार ने 25 लाख नई नौकरियाँ पैदा की हैं तथा 877 अरब यूरो की

अतिरिक्त समृद्धि पैदा की है। एकल बाज़ार ने यूरोपीय संघ की कम्पनियों को विष्व स्तर के बाज़ारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनाया है। तीसरे विष्व के देषों को यूरोपीय संघ का निर्यात् 1992 के यूरोपीय संघ के सकल घरेलू उत्पाद के 6.9 प्रतिषत से बढ़कर 2001 में 11.2 प्रतिषत हो गया है। एकल बाज़ार ने यूरोप को विदेषी निवेषकों के लिए आकर्षक गतंव्य स्थान बना दिया है। प्रत्यक्ष विदेषी निवेष का प्रवाह यूरोपीय संघ की सकल घरेलू उत्पाद का दुगुना हो गया है।

5.11 अभ्यास प्रष्न

1) एकल बाज़ार की स्थापना के प्रेरणामूलक कारकों की व्याख्या कीजिए।

2) एकल यूरोपीय अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

3) एकल यूरोपीय बाज़ार की प्रमुख विषेषताओं तथा इसके प्रभावों का आकलन कीजिए।

4) सेवाओं से संबंधित निवेष की आवष्यकता, प्रकृति तथा महत्व का परीक्षण कीजिए।

5.12 संदर्भ तथा कुछ उपयोगी पुस्तकें

सचीनी, पाओलो, मिखाइल केटीनट एवं एलेक्सिा जेकक्यूमिन, *दी यूरोपियन चैलेंज, 1992 : दी बेनिफिट्स ऑफ ए सिंगल मार्केट*, जॉन रोबिनसन द्वारा अंग्रेज़ी संस्करण का अनुवाद (एल्डरशॉट ' विल्डवुड हाउस, 1988)।

यूरोपियन आयोग, *कम्पलिटिंग दी इंटरनल मार्केट*, श्वेत पत्र यूरोपियन आयोग परिषद द्वारा जारी किया गया, (लक्ज़मबर्ग : यूरोपीय समुदाय आयोग, 1985)।

यूरोपीय समुदाय, सरकारी प्रकाषन का कार्यालय, *यूरोप विदआउट फ्रटियर्स – कम्पलीटिंग दी इंटरनल मार्केट,* (लक्समबर्ग), यूरोप डाक्यूमेंटेषन, पिरियाडिक्ल 2/1989।

यूरोपीय आयोग, "दि *इंटरनल मार्केट स्ट्रटेजी फॉर सर्विसिजः कमीषन लांचस न्यू स्ट्रेटेजी टू डिसमेंटल रिमेनिंग बैरियर्स"* प्रेस रिलीज, 11 जनवरी 2001।

नुगेन्ट, नील, *दी गवर्नमेंट एंड पोलिटिक्स ऑफ दी यूरोपियन यूनियन*, पाँचवाँ संस्करण, (हाउॅडमिल्स : पालग्रेव मैकमिलन, 2003)।

पेल्कमेन्स, जेक्यूस, "ए ग्राण्ड डिज़ाइन बाई पीस? एन एप्रेजल ऑफ दी इंटरनल मार्केट स्ट्रेटजी", इन रोलैण्ड बीबर, आर डिहाउसी, जॉन पिण्डर एवं जोसफ एच. एच, वेलर (संपा.) 1992,

वन यूरोपियन मार्केट? ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दी कमीषन'स इंटरनल मार्केट स्ट्रेटजी (बाडेन–बाडेन : नोमोस वरलैग, 1988।

ब्रीन्टोन, पॉल, "व्हाट आर दी लिमिट्स ऑफ इकॉनामिक इंटैग्रेषन", *सी ई पी एस वर्किंग डाक्यूमेंट संख्या 177/नवम्बर 2001*, ब्रूसल्स : यूरोपीय नीति अध्ययन केन्द्र, 2001)।